भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2811
उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 07 अगस्त, 2023
16 श्रावण, 1945 (शक)

पश्चिम बंगाल के स्मारकों से प्राप्त राजस्व

2811. **श्रीमती नुसरत जहां:**

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पश्चिम बंगाल में कितने स्मारक ''केंद्र द्वारा संरक्षित सूची'' के अंतर्गत आते हैं;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे स्मारकों से वर्ष-वार और स्मारक-वार कितना राजस्व प्राप्त हुआ;
(ग) इस राजस्व के उपयोग का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने राज्य में अन्य स्मारकों और स्थलों के संरक्षण हेतु कोई प्रस्ताव दिया है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): पश्चिम बंगाल राज्य में प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित 135 प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष हैं।

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में टिकट वाले चार स्मारकों में प्रवेश टिकटों की बिक्री से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अर्जित राजस्व इस प्रकार है:

(राशि करोड़ रू. में)

वर्ष	**राजस्व**
2020-21	1.23
2021-22	1.65
2022-23	4.29

(ग): अर्जित राजस्व को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है।

(घ) और (ड.): फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****